रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1998 (वैशाख 12, 1920)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1998 (VAISAKHA 12, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

आंध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय, हैदराबाद

दिनांक 23 फरवरी, 1998

सं० 666/20/आई०आर०/530—आंध्रा बैंक का निदेशक मण्डल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठी गई धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. इन विनियमों को आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन), विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।

2. यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 के विनियम 4 में (जिसे इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा) सामान्य दण्ड शीर्ष के अन्तर्गत खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा अर्थात्:—

"(ङ) संचित प्रभाव के बिना और अधिकारी के पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए काल वेतनमान निम्नतर प्रक्रम में अवनति"

ख. "गम्भीर स्वरूप वाले दण्ड शीर्ष के अन्तर्गत खंड (ङ) (च) (छ) और (ज) की पुनः खण्ड (छ) (ज) (झ) और ( ) में क्रमांकित किया जाएगा ।"

ग. पुनः क्रमांकित किए गए खण्ड (छ) के पहले निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :—

(च) "किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वेतन के काल वेतन-मान निम्नतर प्रक्रम तक उक्त अवनति (ङ) में प्रावधान को छोड़कर अतिरिक्त निर्देश सहित कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान अधिकारी वेतन वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और क्या यह अवनति ऐसी अवधि की समाप्ति पर उसके वेतन की आगामी वेतन वृद्धियों के स्थगन का प्रभाव रखेगी या नहीं"

घ. पुनः क्रमांकित किए गए खंड (छ) के एवज में निम्नलिखित को लिया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) किसी निम्नतर श्रेणी या पद पर अवनत किया जाना"

3. मूल विनियम के विनियम 6 के उपनियम (1) के खंड (ङ), (च), (छ) और (ज) शब्द, कोष्ठक, और आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज) (झ) और (ञ)" के शब्द कोष्ठक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

4. मूल विनियम के विनियम 8 के उप विनियम (1) में विनियम 4 के खंड (क) से (घ) शब्द, कोष्टक और आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (क) (ङ)" के शब्द, कोष्टक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

5. मूल विनियम के विनियम 17 के उप विनियम (2) के प्रथम परंतुक में "विनियम 4 के खंड (ङ), (च), (छ), और (ज)" शब्द, कोष्टक और आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) एवं (ञ)" के शब्द, कोष्ठक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं।

6. मूल विनियम के विनियम 18 के प्रथम प्रावधान में "विनियम 4 के खंड (ङ), (च), (छ), या (ज)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़ों के लिए "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) या (ञ)" के शब्द, कोष्ठक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

नोट :—आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 198 में पहले किए गए संशोधनों को गजट की धारा 4 भाग 3 में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था अर्थात् :—

क्रम सं०	अधिसूचना	दिनांक
1.	34	26-10-1990
2.	35	26-10-1990
3.	41	01-12-1990
4.	35	06-09-1993

वी० आर० वेंकटरामन,
महाप्रबन्धक

सिंडीकेट बैंक

प्रधान कार्यालय : मणिपाल

शुद्धि-पत्र

सं० 1128/0089/का० वि० औ० सं० प्र० (अ) दिनांक 13-4-1998—भारत के राजपत्र में उपके निगम सं० 37 दिनांक 13-9-1997 के भाग III खंड-4 में प्रकाशित सिंडीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल की "सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली 1976" की विषयवस्तु सम्बन्धी पृष्ठ सं० "2917 की मद सं० 2 की पहली पंक्ति में उल्लेखित वर्ष '1997" के स्थान पर वर्ष "1976" को प्रतिस्थापित किया जाए ।

वाई० एम० शेट्टी
महाप्रबन्धक (का/राजभाषा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 1998

संख्या : यू०-16/53/93-चि०-2 (गुजरात)— कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा धरियापुर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा० (श्रीमती) ए० जे० पटेल की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं ।

डा० (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं० एन०-15/13/14/2/98-यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-4-1998 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में

निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला कुडालूर के पनरुटी तालुक में राजस्व ग्राम मरूनगुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एल० के० पटनायक,
संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०)

सं० एन०-15/13/14/3/98-यो० एवं वि०-(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-4-1998 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात् :

"जिला कोयंम्बतूर के तीरूपुर तालुक में राजस्व ग्राम अन्दीपालायम, नालुर, मुथालीपालायम, मन्नाराई, कन्नकापालायम, पोन्गुपालायम, नेरूपेरीचल और वेलामपालायम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एल० के० पटनायक,
संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/4919—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा को उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

और चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा ने स्कीम की धारा 18(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट आरम्भ होने की तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० रूशी कुल्या ग्रामया बैंक, हैड आफिस ब्रह्मपुर जिला गंजम-70001 शाखाओं सहित	उड़ीसा/2381	1-3-95 से 28-2-98	11/9/98-उड़ीसा/डी० एल० आई०
2.	मै० अरबन को-आपरेटिव बैंक लि० टिनो कोनिया बगीचा कटक-753001 (शाखाओं सहित)	उड़ीसा/2734	1-2-90 से 31-1-93 व 1-2-93 से 31-1-96 1-2-96 से 31-1-99	11/8/97-उड़ीसा/डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम

का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी हैं होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-1/4927—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा-17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० वह दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० री-रोलिंग मिल्स लि०, हीराकुड डिस्ट्रिक्ट सम्बलपुर उड़ीसा	ओ०/आर 563	2/1959/एक्जम/डी० एल० आई० पार्ट-1 दिनांक 2-7-93	30-9-92	1-10-92 से 30-9-95 1-10-95 से 30-9-98	2/555/81/डी० एल० आई०
2.	मै० उड़ीसा एक्सट्रूजन्स लि०, गनेश्वरपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बालासौर-756019	ओ०/आर 4010	दिनांक 25-1-94	30-6-95	1-7-95 से 30-6-98	2/5275/93/ डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के ... ों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो ... यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1/4935—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्तअधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी गई है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व उसका कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० और तारीख जिसके अनुसार छूट विस्तार किया गया	समाप्ति की तारीख	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6
1.	मै० उड़ीसा प्लास्टिक प्रोसे० उड़ीसा लि० ओटी रोड बाला–4145 सौर–755001	2/1959/डी० एल० आई०/छूट 89/पार्ट–1 416–420 दिनांक 25–1–96	28–2–95	1–3–95 से 28–2–98	2/3/95—डीएलआई उड़ीसा
2.	मै० उत्कल एग्रोइन्डस्ट्रीज (उड़ीसा (प्रा०) लि० ओ० टी० रोड, 1648 बालासौर–756001	2/1959/डी० एल० आई०/छूट 89 पार्ट–1/424 दिनांक 25–1–96	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/4/95–उड़ीसा डीएलआई

अनुसूची–2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 30 मार्च 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/4943—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत विस्तार छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी गई है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधि.सूचना की सं० और तारीख जिसके अनुसार छूट/विस्तार किया गया	समाप्ति की तारीख	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० अनुपम एडहेसिव्स, 159 विट्ठल उद्योग नगर—388121 ता० आनन्द, गुजरात	गुज०/6891	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट 89/पार्ट—I दि० 21—1—94	28—2—95	1—3—95 से 28—2—98	2/3306/91 डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 अप्रैल 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/5—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम एवं पता	कोड सं०	अधिसूचना की सं० और दिनांक जिससे छूट प्रदान की गई	समाप्त होने की तिथि	छूट प्रदान करने हेतु अवधि	के० भ० नि० आ० फाइलस
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० कौंपिक, प्लाट नं० 3606, फेस चार, जी०आई०डी० सी०, स्टेट कटवा, अहमदाबाद—332445	गुज०/941ए	एस-35014/112/82/पी० एफ०-11 दिनांक 23-9-82	22-9-85	23-9-85 से 22-9-88, 23-9-88 से 22-9-91 23-9-91 से 22-9-94 23-9-94 से 22-9-97	2/702/82/डी० एल० आई०
2.	मै० किनारीआजा डाई केम इंडस्ट्रीस, 148, मुक्ति मैदान, मणिनगर, अहमदाबाद—8	गुज०/1385	12/1959/डी० एल० आई०/छूट/89 पार्ट—I/ दिनांक 25-1-94	31-1-95	1-2-95 से 31-1-98	2/2357/79/डी० एल० आई०
3.	मै० गुजरात स्टेट एक्सपोर्टस कार० लि०, गुजरात चेम्बरस बिल्डिंग, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	गुज०/4895	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89 पार्ट—I/ दिनांक 17-1-94	29-2-96	1-3-96 से 28-2-99	12/670/83/डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० अनिल फोरजिंग ए डिवीजन आफदी अनिल स्टार्च प्रोडक्स लि० अनिल रोड़ पी० बी० नं० 1009, अहमदाबाद–25	गुज०/5774	2/1959/डी० एल० आई०/ छूट/89 पार्ट–I दिनांक 22–4–93	31–1–93	1–2–95 से 31–1–98	2/4766/डी० एल० आई० ।
5.	मै० गुजरात ट्रेडिंग कं० 82जी० आई० डी० सी० स्टेट मेहमाना–2 गुजरात	गुज०/11480	2/1959/डी० एल० आई०/ छूट/89 पार्ट–I दिनांक 22–4–93	28–2–94	1–3–94 से 28–2–97 1–3–97 से 29–2–2000	2/4160/92/डी० एल० आई०
6.	मै० सुविक इलैक्ट्रोनिक्स प्लाट नं० 102, जी० आई० डी० सी० इंजी० इस्टेट सैक्टर–2 गांधीनगर––382028	गुज०/12384	2/1959/डी०एल० आई०/ छूट/89 पार्ट–I दिनांक 2–12–93	31–8–92	1–9–92 से 31–8–95 1–9–95 से 31–8–98	2/4310/92/डी० एल० आई० ।
7.	मै० दी म्यून्सिपल को० ओ० बैंक लि० म्यून्सिपल कार्पोरेशन आफिस कम्पाउंड दानापीठ अहमदाबाद––580001	गुज०/14378	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट/89/पार्ट–I दिनांक 3–4–93	24–8–94	25–8–94 से 24–8–97	2/1805/88/डी० एल० आई० ।

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उसी सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना, पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारण वश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, तो बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 अप्रैल 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शायी है ।

अनुसूची

	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट समाप्ति	छूट विस्तार तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० एर्सवा मिल्स एर्सवा रोड, अहमदाबाद–380016 ।	जी० जे०/274	2/1959/डी० एल०आई०/ एक्जम/89 भाग–1 दिनांक 10–9–91	27–12–93	28–12–93 से 27–12–96 28–12–96 से 27–12–99	2/1660/89/ डी० एल० आई०
2.	मै० अनुप इंजीनियरिंग लि० ओधव रोड, अहमदाबाद–382415 ।	जी०जे०/1912	दिनांक 27–1–94	1–3–94	2–3–94 से 1–3–97	2/1165/85 डी० एल० आई०
3.	मै० टैक्सटाइल इंजीनियरिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स पो० बा० नं० –2, रुपपुर जिला अहमदाबाद ।	जी०जे०/4577	दिनांक 2-5–94	31–3–93	1–4–93 से 31–3–96 1–4–96 से 31–3–99	2/5438/94 डी० एल० आई०
4.	मै० किनारीवाला आर० जे० के० इंडस्ट्रीज नर नीकोल अक्टरी नाका बी/एच अनिल स्टार्च अहमदाबाद–380025 ।	जी०जे०/5779	दिनांक 11–10–92	28–2–95	1–3–95 से 28–2–98	2/3355/91 /डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० जैम इंडस्ट्रीज लि० मगोर 388340, तल आनंद जिला कैरा गुजरात ।	जी०जे०/ 6107	दिनांक 11-10-92	31-12-94	1-1-95 से 31-12-97	2/2356/89 डी० एल० आई०
6.	मै० गनेस्ट इंजीनियरिंग प्रा० लि० 704, समपट्टी-30 महाराष्ट्र सोसायटी इल्लीस अहमदाबाद-6	जी० जे०/ 6389	दिनांक 3-4-93	28-2-94	1-3-94 से 28-2-97 1-3-97 से 29-2-2000	2/2508/90 डी० एल० आई०
7.	मै० शरद नॉटरेस एल-62-63-64 जी० आई० डी० सी० ओढव अहमदाबाद-382415	जी० जे०/ 10490	दिनांक 14-4-91	29-2-92	1-3-92 से 28-2-95 1-3-95 से 28-2-98	2/3411/91 डी० एल० आई०
8.	मै० गुजरात स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, जी-1/201, सेक्टर नं० 30, गांधीनगर-382030	जी० जे/ 11828	दिनांक 18-1-94	15-6-96	16-6-96 से 15-6-99	2/1026/84 डी० एल० आई०
9.	मै० दी सुरेन्द्रनगर मरकैन्टाइल को० आ० बैंक नक्कर कमर्शियल सेन्टर मिनी थोब्रन मार्ग सुरेन्द्र नगर-363001 3 शाखा	जी० जे/ 16904	दिनांक 8-4-93	30-6-94	1-7-94 से 30-6-97	2/4437/92 डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के आधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस के हकदार नाम/निदेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

ANDHRA BANK

(A Govt, of India Undertaking)

PERSONNEL DEPARTMENT HEAD OFFICE

Hyderabad, the 23rd February, 1998

No. 666/20/IR/530—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Andhra Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 namely:

(1) Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called Andhra Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 1998,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) In Regulation 4 of the Andhra Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting the officer's pension",

(b) Under the heading "Major Penalties" the clauses (e), (f), (g) and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i), and (j);

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely:—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay",

(d) For the re-numbered clause (g) the following may be substituted namely:—

"(g) reduction to a lower grade or post".

(3) In sub-regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

(4) In Sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets, and figures "clause (a) to (e) of Regulation 4" may be substituted.

(5) In the first proviso to sub-regulation (ii) of Regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e) (f), (g) and (h) of Regulation 4," the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j), of Regulation 4" may be substituted.

(6) In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets, and figures "clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures clauses (f), (g), (h), ((i), ' (or) (j) of Regulation 4" may be substituted.

Note: Earlier amendments to Andhra Bank Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations 198 were published in Part III Section 4 of the Gazette of India as per details given below:

S.No.	Notification No.	Date
1.	34	26-10-1990
2.	35	26-10-1990
3.	41	04-12-1990
4.	35	06-09-1993

V.R. VENKATARAMAN,
General Manager

SYNDICATE BANK

HEAD OFFICE

Manipal 576 119, the 13th April, 1998

CORRIGENDUM

No. 112.!0089/PD: IRD'(O) dated 13-4-1998:—In the Schedule to the "Discipline & Appeal" Regulations, published on pages No. 2936 to 2937 in the Gazette of India in the Issue No. 37 dated 13-9-1997, the following printing errors that have crept in may be corrected:

Sl, No.	Printing errors	To be corrected to read as
1.	The words "Head Officer" appearing against S. No. 2, Column No. 3, on page No. 2937	"Head Office"
2.	The words "Head Officer" appearing against Sl. No. 2. Column No. 4, on page No./ 2937	"Head Office"
3.	The words "Chairman!Managing Director" appearing against Sl. No. 3. Cloumn 5 on Page No. 2937	"Chairman & Managing Director"
4.	The words "Scale VI/VII appearing against Sl. No. 4, Column No. 2, on page No, 2937	"Scale VI & VII"
5.	The words "Chairman/Managing Director" appearing against Sl. No. 4, Column No. 4 on page No. 2937	"Chairman & Managing Director"

Y.N· SHETTY)
General Manager' (P)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th March 1998

No. U-16/53/93-M. II (Guj.):—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) A.J. Patel to function as Medical Authority for Dariapur centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date she resumes charge or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. (Mrs.) S. SINGH,
Medical Commissioner

New Delhi, the 31st March 1998

No. N-15/13/14/2/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-4-1998 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely: --

"Areas comprising the revenue village of Manuguru in Panruti Taluk of Cuddalore District."

L.K. PATTANAIK,
Jt. Director (P&D)

No. N-15/13/14/3/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-4-1998 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely:—

"Areas comprising the revenue villages of Andipalayam, Nallur, Muthalipalaym; Mannarai, Kanakkampaiayam, Pongupalayam, Neruperichal, Velampalayam in Tiruppur Taluk of Coimbatore District."

L.K. PATTANAIK,
Jt. Director (P&D)

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 066, the 30th March 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4919.—WHEREAS the employers of the estatblishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Orissa from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exempion	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Rushikulya Gramya Bank, Head Office Berhampur Distt, Ganjam. Pin-760001 alongwith its branches	OR/2881	1-3-1995 to 28-2-1998	11/9/97/OR/DLI
2.	M/s. Urban Co-operative Bank Ltd., Tinikonia Bagicha, Cuttack-753001, alongwith its branches	OR/2734	1-2-1990 to 31-1-1993 & 1-2-1993 to 31-1-1996 & 1-2-1996 to 31-1-1999	11/8/97/OR/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4927.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P.F. C File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Re-Rolling Mills Ltd,, Hirakud Distt. Sambalpur, Orissa	OR/563	2/1959/Exem/DLI/ Pt-I dated 2-7-93	30-9-92	1-10-92 to 30-9-95 and 1-10-95 to 30-9-98	2/555/81/DLI
2	M/s Orissa Extrusions Ltd. Ganeswarpur Industrial Estate, Balasore-756019	OR/4910	dated 25-1-94	30-6-95	1-7-95 to 30-6-98	2/5275/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefit admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4935.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was Granted/ Extended	Date of Expiry	Period to Exemption	C P.F.C. File No
1.	M/s. Orissa Plastic Processing Ltd., O.T. Road, Balasore-756001	OR/4146	2/1959/DLI/Ext/89/ Pt. 1,416-426 dated 25-1-96	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/3/95/DLI/OR
2.	M/s. Utkal Agro Industries Pvt. Ltd. O.T. Road/Balasore-756001	OR/1648	2/1959/DLI/89/ Pt.I/424 dated 25-1-96	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/4/95/DLI/OR

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4943.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s. Anoopam Adhesives, 159 Vithal Udyognagar-388121 Ta Anand Gujarat.	GJ/6891	2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I dated 21-1-94	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/3306/94/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that should be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely by the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi, the 6th April 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/5.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the GROUP Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Corpoc, Plot No. 3606, Phase IV, GIDC Estate Vatva, Ahmedabad-382445.	GJ/941A	S-35014/112/82-PF-II dated 23-9-82	22-9-85	28-9-85 to 22-9-88 23-9-88 to 22-9-91 23-9-91 to 22-9-94 23-9-94 to 22-9-97	2/702/82/DLI
2.	M/s. Kinariwala Dye Chem Industries 148, Mukti Medan Maninagar, Ahmedabad-8.	GJ/1385	2/1959/DLI/Exemp./89/Pt, I dated 25-1-94	31-1-95	1-2-95 to 31-1-98	2/2357/89/DLI

1	2	3	4	5	6	7
3.	M/s. Gujarat State Exports Corp, Ltd. Gujarat Chambers Building Near Natraj Cinema, Ashram Road, Ahmedabad-9.	GJ/4895	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 17-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/670/83/DLI
4.	M/s. Anil Forgings A Division of the Anil starch Products Ltd, Anil Road P.B. No 1009, Ahmedabad-25.	GJ/5774	Do. dated 22-4-93	31-1-95	1-2-95 to 31-1-98	2/4766/92/DLI
5.	M/s. Gujarat Trading Co. 82, GIDC-Estate Mehsana-2 Gujarat.	GJ/11480	Do.	23-2-94	1-3-94 to 28-2-97 1-3-97 to 29-2-2000	2/4160/92/DLI
6.	M/s. Savic Electronics Plot No. 102 GIDC Engg. Estate, Sector-28 Gandhinagar-382028,	GJ/12384	Do. dated 1-12-93	31-8-92	1-9-92 to 31-8-95 1-9-95 to 31-8-98	2/4310/92/DLI
7.	M/s. The Municipal Co-op, Bank Ltd. Municipal Corporation office Compound Dana Pith, Ahmedabad-380001.	GJ/14378	2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I dated 3-4-93	24-8-94	25-8-94 to 24-8-97	2/1805/88/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insuranec Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before given his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benifits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(A) Legal heir(S) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/18.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended.	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s. Asarwa Mills, Asarwa Road, Ahmedabad.	GJ/274	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 10-9-91	27-12-93	28-12-93 to 27-12-96 28-12-96 to 27-12-99	2/1660/89.DLI
2.	M/s. The Anup Engineering Ltd. Odhav Road, Ahmedabad-382415.	GJ/1912	Do. 27-1-94	1-3-94	2-3-94 to 1-3-97	2/1165/85/DLI
3.	M/s. Texspine Engineering & Mfg. work P.B. No. 2, Ranpur Ahmedabad.	GJ/4577	Do. 2-5-94	31-3-93	1-4-93 to 31-3-96 1-4-96 to 31-3-99	2/5438/94/DLI
4.	M/s. Kinariwala R.J.K. Industries Nr. Nikel Octroi Naka Behind Anil Starch, Ahmedabad-380025.	GJ/5779	Do. 11-10-92	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/3355/91/DLI
5.	M/s. Jemi Industries Ltd. Magor 388340, Tal Anand, Dist, Kaira Gujarat.	GJ/6107	Do. 11-10-92	31-12-94	1-1-95 to 31-12-97	2/2356/89/DLI
6.	M/s. Gamset Engineering Pvt., Ltd. 701, Sampatti, 30, Maharashtra Society Ellsbridge Ahmedabad-6.	GJ/6389	Do. 3-4-93	28-2-94	1-3-94 to 28-2-97 1-3-97 to 29-2-2000	2/2508/90/DLI
7.	M/s. Shard Knotters L-62-63-64 G.I.D.C. Odhav, Ahmedabad-382415.	GJ/10490	Do. 14-4-91	29-2-92	1-3-92 to 28-2-95 1-3-95 to 28-2-98	2/3411/91/DLI
8.	M/s. Gujarat State Construction Corporation Ltd., G-I/201 Sector No, 30, Gandhi Nagar-382030.	GJ/11828	2/1959/DLI/Exem/89/Pt, I dated 18-1-94	15-6-96	16-6-96 to 15-6-99	2/1026/DLI/84
9.	M/s. The Surendra Nager Mercantile Co-Op. Bank Navkar Commercial Centre Mini Thophan Marg, Surendra Nager-363001 3 Branches.	GJ/16904	Do. dated 8-4-93	30-6-94	1-7-94 to 30-6-97	2/4437/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (A) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts. submission of returns, payment of Insurance primia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schemes approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(A) Legal heir(S) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1998